18-19

न्यायालय, अंचल अधिकारी, सतगावाँ।

विविध वाद सं0–...07.../2018

प्रसंगः–श्री बलेन्द्रर सिंह वगैरह बनाम रामवतार सिंह वगैरह

आदेश–फलक

7/9/18

आवेदक श्री बलेन्द्रर सिंह एवं श्री रामसनेही सिंह, पिता–स्व0 दुर्गी सिंह, ग्राम–माधोपुर, थाना–सतगावाँ, जिला–कोडरमा का आवेदन प्राप्त हुआ है।

प्राप्त आवेदन में आवेदक द्वारा उल्लेखित कर बताया गया है कि ग्राम–माधोपुर, थाना–सतगावाँ, खाता नं0–189, प्लॉट नं0–863, रकवा–1.16 एकड़ भूमि से संबंधित माननीय, उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची में मामला लंबित होने के कारण लगान रसीद निर्गत नहीं करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतएव भूमि से संबधित उभय पक्षों से उक्त भूमि से संबंधित सूचना निर्गत कर कागजात की माँग करें। अभिलेख दिनांक–12/10/2018 को रखें।

नजीर
कॉपी 46
07/10/18

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
सतगावाँ।

07/09/18
अंचल अधिकारी,
सतगावाँ।

12/10/18

नोटिस तामिला पत्र

(1) अनिल कुमार (2) राम अवतार सिंह (3) विमल सिंह (4) प्रo श्री गीता देवी (5) मो० मुस्लिम मियाँ (6) राम सनेही सिंह (7) विनय कुमार सिंह की ओर से आवेदन एवं कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। अग्रिम दिनांक 26/10/18 को रखें।

12/10/18
अंचल अधिकारी
(सतगावाँ)

26/10/18	राम अवतार सिंह एवं अनिल कुमार की उपस्थिति दर्ज एवं S.P. Koderma का पत्रांक- 2667 /गो० दिनांक 06/8/18 की छाया प्रति दाखिल- (जो प्राप्त है) [illegible] कुंज सिंह उपस्थित। अग्रिम दिनांक 27/11/18 को पे 26/10/18 अंचल अधिकारी (सतगावाँ)
27/11/18	राम अवतार सिंह एवं केशो राय उपस्थित। टंकित आदेश अगले पृष्ठ पर संलग्न। 27/11/18 अंचल अधिकारी सतगावाँ।

न्यायालय अंचल अधिकारी, सतगावां

विविध वाद सं0–......07......./ 2018

प्रसंग–श्री बलेन्द्र सिंह वगैरह बनाम रामवतार सिह वगैरह

आदेश

27/11/18

मूल अभिलेख में सभी संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक बलेन्द्र सिंह, रामसनेही सिंह पेसरान स्व0 दुर्गी सिंह साकिन माधोपूर थाना सतगावां जिला–कोडरमा के द्वारा आवेदन के साथ राजीव कुमार अधिवक्ता, उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची के पैड के साथ संलग्न Civil appellate jurisdiction District-Koderma S.A NO.---------Of 2018 प्रथम प्रक्ष के बलेन्द्र सिंह वगैरह बनाम टनकु दुबे वगै0 से संबंधित Plant की copy संलग्न किया है।

आवेदक द्वारा खाता सं0 189 प्लौट सं0 863 रकवा 1.16 डी0, प्लौट सं0 863,992,1034 रकवा 71+29+16 डी0, 1.16 डी0 भूमि से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची में परिवारवाद के तहत मुकदमा चलने की बात कही गई है। साथ ही द्वितिय पक्ष के रामवतार सिंह, केशो राम, मुसलिम मियां के पक्ष में उक्त वर्णित भूमि का रसीद निर्गत नहीं करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आवेदक द्वारा उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची में वाद चलने की बात कही गई है, परन्तु वाद सं0 उल्लेखित नहीं किया गया है और ना ही उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची का साक्ष्य के रूप में रसीद निर्गत पर रोक लगाने हेतु किसी प्रकार का कोई Stay order की सत्यापित की मूल/छायाप्रति संलग्न किया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त वर्णित भूमि से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रांची में मामला चलने की बात कही गई है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालयमें वाद को चलाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/11/18
अंचल अधिकारी,
सतगावा।

27/11/18
अंचल अधिकारी,
सतगावां।